कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), गोरखपुर।

पत्रांक 135 / सा0प्रशा0 / स0सु0 / अधि0 / 2020 दिनाक : 20 जुलाई, 2020

अधिसूचना

चूंकि केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या. 59, 1988) की धारा–122 की उपधारा (2) मे प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सडक अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों / विभिन्न श्रेणी के मोटरयानो की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणो से संतुष्ट होने पर प्रतिबन्धित किया जा सकता है।

और जहा उक्त अधिनियम की धारा–112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1988 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोडकर अन्य क्षेत्रो की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–1377 दिनांक 06–04–2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित मे उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबन्धित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम 178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गोरखपुर जनपद होकर निकलने / चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोडकर अन्य क्षेत्रों में मार्गो या मार्गो के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है :–

क्र. सं.	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान	यान की श्रेणी अनुसार निबन्धित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
		(कहां से कहां तक) जहां गति निबन्धित रहेगी।	टू–व्हीलर / थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीट वाले यात्री वाहन	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्री वाहन	समस्त माल यान एवं स्तम्भ 4, 5 एवं 6 को छोड़कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
1	गोरखपुर–खजनी–सिकरीगंज मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग संख्या–49)	गोरखपुर से सिकरीगंज	40 किमी0 / घंटा	60 किमी0 / घंटा	60 किमी0 / घंटा	50 किमी0 / घंटा
2	पटनाघाट–रिठुआखोर–घघसरा मार्ग (अ0जि0 मार्ग)	पटनाघाट से घघसरा	40 किमी0 / घंटा	60 किमी0 / घंटा	60 किमी0 / घंटा	50 किमी0 / घंटा
3	सहजनवा–बखिरा मार्ग (अ0जि0 मार्ग)	सहजनवां से बखिरा	40 किमी0 / घंटा	60 किमी0 / घंटा	60 किमी0 / घंटा	50 किमी0 / घंटा
4	कटघर–बिगही सम्पर्क मार्ग (अ0जि0 मार्ग)	कटघर से बिगही	40 किमी0 / घंटा	60 किमी0 / घंटा	60 किमी0 / घंटा	50 किमी0 / घंटा
5	भटहट–माधी–बासस्थान मार्ग के किमी0 1 से 11.50 तक मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	भटहट से बासस्थान	40 किमी0 / घंटा	60 किमी0 / घंटा	60 किमी0 / घंटा	50 किमी0 / घंटा

Scanned with CamScanner

6	करमैनी–बलुआ–खडखडिया मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	करमैनी से खडखडिया	40 किमी0 / घंटा	60 किमी0 / घंटा	60 किमी0 / घंटा	50 किमी0 / घंटा
7	मोतीराम अड्डा–झंगहा–बरही–बोहाबार मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (अ0जि0 मार्ग)	मोतीराम से बोहाबार	40 किमी0 / घंटा	60 किमी0 / घंटा	60 किमी0 / घंटा	50 किमी0 / घंटा
8	गोरखपुर उपमार्ग (रामगढ़ताल मार्ग)	गोरखपुर उपमार्ग (रामगढ़ताल मार्ग)	40 किमी0 / घंटा	60 किमी0 / घंटा	60 किमी0 / घंटा	50 किमी0 / घंटा
9	जंगल कौड़िया–जगतबेला मार्ग (अ0जि0 मार्ग)	जंगल कौड़िया से जगतबेला	40 किमी0 / घंटा	60 किमी0 / घंटा	60 किमी0 / घंटा	50 किमी0 / घंटा
10	महेवा चुंगी (मलौली बंधा) से झगहा मार्ग (अ0जि0 मार्ग)	महेवा चुंगी (मलौली बंधा) से झगहा	40 किमी0 / घंटा	60 किमी0 / घंटा	60 किमी0 / घंटा	50 किमी0 / घंटा

गति सम्बन्धी उपरोक्त प्रतिबन्ध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा–

1. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबन्धित स्थान के दोनों छोर प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार सम्बन्धित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिए रेट्रो–रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।
2. उक्त प्रतिबन्ध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा–
   (अ) अग्नि शमन वाहन।
   (ब) एम्बुलेन्स।
   (स) पुलिस वाहन।
   (द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिए प्रयुक्त होने वाले वाहन।
   (य) प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिए प्रयुक्त वाहन।
3. उपरोक्त तालिका के कॉलम–3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गों के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा–112 की उप धारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या 1377, दिनांक 06–04–2018 समय–समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत् लागू रहेगी।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
गोरखपुर।

Scanned with CamScanner

पृ0सं0— /अधि0/स0सु0/2020 समदिनांकित— दिनांक : 20 जुलाई, 2020

प्रतिलिपि :— निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), यातायात निदेशालय, उ0प्र0।
3. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर।
5. उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) वाराणसी।
6. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, गोरखपुर।
7. निदेशक छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
8. जिला सूचना अधिकारी, गोरखपुर को 05 प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आगामी तिथियों में उक्त आशय की सूचना जनहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर।
10. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, गोरखपुर, उ0प्र0।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
गोरखपुर।

Scanned with CamScanner